[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं०. 67/2017– केंद्रीय कर

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर, 2017

सा.का.नि. ……….. (अ)–आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 1258(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 44/2017–केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा, जो जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017 और नवंबर, 2017 मास के दौरान इस प्रकार पात्र बन गए थे कि वे उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के अर्हक हैं, **प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी.सी.-01** में घोषणा करने की समय-सीमा 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाते हैं ।

[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार